न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/576

1. मोडू लाल आयु 56 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति तेली निवासी जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी बागदा तहसील व जिला बून्दी ।
2. अमरलाल आयु 48 वर्ष आत्मज कालू जाति तेली निवीस जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी बागदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. पप्पू आयु 41 वर्ष आत्मज कालू जी जाति तेली निवासी जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी राजेश नर्स के मकान में होली का खूंट बून्दी ।

बनाम

1. लटूर लाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री हीरा जी जाति तेली निवासी जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी शिव कॉलोनी उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशन बिहारी आुय 48 वर्ष आत्मज श्री हीरा जी जाति तेली निवासी जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी शिव कॉलोनी उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती बरधी बाई आयु 78 वर्ष बेवा स्व0 श्री हीरा जी जाति तेली निवासी जालेडा तहसील बून्दी हाल निवासी शिव कॉलोनी उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. धन्नी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री स्व0 हीरा जी पत्नी श्री दुर्गालाल जाति तेली निवासी नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. फूला बाई आयु 52 साल पुत्री स्व0 हीरा पत्नी चतरभुज जाति तेली निवासी मेघारावत की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. प्रेम बाई आयु 52 वर्ष पुत्री कालू जी पत्नी श्री भोलाशंकर जाति तेली निवासी होली का खूंट तेलीपाडा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. गीता आयु 42 साल पुत्री कालू जी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द जाति तेली निवासी माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. मंगली आयु 38 वर्ष पुत्री कालू पत्नी श्री मदन जाति तेली निवासी खीन्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. श्रीमती छोटा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री कालू पत्नी शम्भू जी जाति तेली निवासी मानसरोवर कॉलोनी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. श्रीमती लोडकी बाई आयु 80 वर्ष बेवा श्री रामनारायण जाति तेली निवासी जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
11. रामकिशन आयु 65 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति तेली ।
12. रामेश्वर आयु 62 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति तेली ।
13. रामरतन आयु 52 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति तेली ।
14. मांगी बाई आयु 55 वर्ष पत्नी श्री रामेश्वर जाति तेली निवासीगण छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन गौत्तम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम जालेडा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 122 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण हिस्सा 1/6 के सहखातेदार हैं । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदार श्रीमती पुष्पा बेवा कालू का देहावसान हो चुका है एवं श्रीमती पुष्पा के विधिक प्रतिनिधि प्रतिवादी क्रम 01 से 07 है। वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार है कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावाये और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खाते दर्ज करावे एवं पृथक से लगान कायम करावे ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादीगण को हिस्सा 1/6 स्वतंत्र रूप से विभाजन में दिया जावे तथा उक्त भूमि स्वतंत्र रूप से वादीगण के खातेदारी में अंकित की जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1, 2, 4, 5, 6 व 7 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 06.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण लोक अदालत में निर्णित किया है जिसकी अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की हैं और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत में पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.09.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर दिनांक 26.09.2017 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया और बंटवारे की प्रार्थना की । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर यह कथन किया गया कि वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 हिस्सा अंकित है परन्तु उनका कब्जा नहीं है । वादीगण के पिता ने वादीगण के हिस्से की भूमि को संवत् 2037 में 41/– रूपये में बेचान कर दिया था और तहरीर निष्पादित की थी । पत्रावली को लोक अदालत में रखा जाकर निर्णय और डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी । निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । किसी भी पक्ष की साक्ष्य नहीं ली गई है तनकीयात कायम नहीं की गई है तथा तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया गया है । इस समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने बंटवारे का दावा पेश किया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अपील विलम्ब सेपेश की गई है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बाबत् बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा इंकारी पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात भी कायम की हैं । लोक अदालत में पक्षकारान की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामा के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों में निर्णय पारित किया जाता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर

विधिक राजीनामा पेश किया हो । अतः हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा